हर इन्सान-एक समान

एक राष्ट्र-एक जान

मेरा भारत महान

समता ज्योति

"जातिगत आरक्षण के रास्ते चलना मूर्खता ही नहीं, विध्वंसकारी है।"

-पं. जवाहरलाल नेहरू
(27 जून, 1961 को प्रधानमंत्री के रूप में मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र से)

वर्ष : 16 अंक : 10 देश के राष्ट्रवादी नागरिकों को समर्पित मासिक-पत्र 25 अक्टूबर, 2025

Website: www.samtaandolan.co.in, E-mail: samtaandolan@yahoo.in मूल्य: प्रति अंक-5 रूपये, सालाना- 50 रूपये (चार पेज)

समता आंदोलन प्रदेश कार्यकारिणी का अधिवेशन सम्पन्न

सर्वसम्मति से चार प्रस्ताव पास

जयपुर 5 अक्टूबर। समय की मांग को समझने और नयी ऊर्जा प्राप्त करने क लिए आहूत इस अधिवेशन में राष्ट्रीय अध्यक्ष पाराशर नारायण शर्मा के साथ सातों मूल संभागीय अध्यक्ष क्रमश: अनिल शर्मा (कोटा), के. जी. मोदानी (अजमेर), कैलाश राजपुरोहित (जोधपुर) हेमराज गोयल जी (भरतपुर), दीपक श्रीवास्तव (उदयपुर), ऋषिराज राठौड (जयपुर) के अलावा विशेष आमंत्रित बी एल विजय मंच पर बैठे।

अपने स्वागत भाषण में राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि हमारा शुरू से ही संकल्प रहा है कि आंदोलन को ग्राम पंचायत स्तर तक पहुंच सके। हम पर दबाव बनाने के लिए वसुंधरा सरकार ने प्रेस मीडिया को रोका और इसी पालिसी को अशोक गहलोत सरकार ने फोलो किया। लेकिन हमने अपनी नीति बदलीं और भरपूर कवरेज लिया।

इसके बाद खुली चर्चा शुरू करते हुए करोली के देवकुमार ने बताया कि हमारे क्षेत्र में मीणा समाज का वर्चस्व और विरोध है। सरकार कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को जो मुफ्त ड्रेस देती है उसमें से सामान्य वर्ग के बच्चों को बाहर रखा गया है। हमने उसका विरोध किया। करोली के ही नरेश सिंह फौजी ने पालिटिकल एप्रोच अथवा नोटा के प्रयोग की आवश्यकता बताई।

भरतपुर के सुनील बंसल का विचार रहा कि अभी तक हम सरकारी कर्मचारियों के दायरे से बाहर निकल नहीं पाये हैं अत: साल में दो मीटिंग व्यापारी वर्ग के साथ की जायें। भरतपुर से ही के एन पाराशर ने सुझाव दिया कि

चार प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार किए गये।

(1) प्रत्येक कार्यकारिणी सदस्य दो दो युवकों को जोड़ेगा।

(2) अगला जिला अध्यक्ष 35 से 50 वर्ष उम्र का बनाया जाये।

(3)(अ) एससी-एसटी में उपवर्गीकरण की रिट लगे।

(3)(ब) ओबीसी में उपवर्गीकरण की रिट लगे।

(3)(स) ओबीसी में ई.डब्ल्यू.एस के मानदंड लागू करने की रिट लगे।

(4) तीन महीने बाद स्टेट एग्ज़ीक्यूटिव की मीटिंग कोटा में की जाये।

अन्तर्जिला और अन्तर्संभागीय मीटिंग बहुत कारगर हो सकती हैं।

जयपुर के योगेश्वर शर्मा ने उदाहरण देते हुए कहा कि हमें अब प्रशासनिक स्तर का भी प्रयोग करना चाहिए। समता उपाध्यक्ष योगेन्द्र सिंह ने बताया कि कतिपय प्रदेश सरकार 70-73 प्रतिशत तक आरक्षण दे रही हैं। ये तमाशा है। ऐसे में उचित रहेगा कि सरकारें जिस जिले जिस जाति की जितनी गणना है उसी अनुपात में कर्मचारी नियुक्त किए जावें।

एस टी प्रकोष्ठ अध्यक्ष रामनारायण धाणका ने कहा कि सरकार के जो भी नोटिफिकेशन निकलते हैं उनका फोलोअप किया जाये।

उदयपुर के दीपक श्रीवास्तव ने आफिसियली एंड लीगली, आर्गेनाइजेशनली और अन आफिशियल तीनों तरीके अपनाए जाने जरूरी हो गये हैं।

कुछ इसी तरह की चर्चा करते हुए जोधपुर के धन सिंह राजपुरोहित ने कहा ''हमें क्या है'' इस बात से बाहर लाना होगा। इसके लिए हमारा आउटपुट लोगों तक पहुंचाना जरूरी है। महेश शर्मा जयपुर ने सुझाव दिया कि पंचायत स्तर पर 5-5 लोगों की टीम बनाई जाए।

भरतपुर के विद्यासागर ने अपनी परेशानी बताई तो मंच ने उन्हें इसके लिए सुझाव भी देने को कहा। कोटा के कमलसिंह बड़गूजर ने कहा कि भले ही हमारे साथ कम लोग हों लेकिन वफादार हों। रासबिहारी पारीक का मत रहा कि पहले तहसीलों तक पहुंचें तो पंचायत तक पहुंचना आसान हो जाएगा।

कोटा से आये ओ बी सी प्रकोष्ठ अध्यक्ष ने सुझाव दिया कि कालेजों के छात्र अध्यक्षों से संपर्क किया जावे। हनुमानगढ़ के भवानी शंकर शर्मा ने सुझाया कि प्रांतीय स्तर पर एक प्रतिनिधि नियुक्त किया जाये जो जिलों से फीडबैक ले सके।

नरेश कुमार का कहना रहा कि बेरोजगारी के मुद्दे को समता आंदोलन के साथ जोड़ें।

हनुमानगढ़ के महेंद्र शर्मा ने संगठन सपोर्ट के लिए युवाओं को जोड़ने की बात कही। आम आदमी को समता आंदोलन से जोड़ने के लिए डा. श्याम सुन्दर सेवदा ने कहा कि शहरों के हर वार्ड में 5-7 लोगों की टीम बनाकर बताया जाए और सामाजिक मंचों से भी बात उठाई जावे।

जिलाध्यक्ष कोटा गोपाल गर्ग ने ऐसे प्रावधान की मांग की जिसके अनुसार प्रदेश स्तर के ऐसे अधिकारी जो किसी भी आयोजन में शामिल नहीं होते उन्हें हटाया जा सके।

जयपुर के रामप्रकाश सारस्वत ने हर जिले में शक्ति प्रदर्शन को जरूरी बताते हुए समता आंदोलन को हर वर्ग का बनाए जाने की बात कही।

जयपुर जिला अध्यक्ष दीपक सिंघल ने अपनी निजी परेशानी बताकर कहा कि हम पार्टियों के बजाय समता आंदोलन से जुड़ें।

पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष कर्नल राणू सिंह राजपुरोहित ने आव्हान किया कि यदि आप आंदोलन हैं, तो ज़िदा दिखाई भी दें। फिर सुझाव दिया कि हर महीने प्रदेश स्तर से एक कार्यक्रम जरुर जावे और उसकी मानिटरिंग भी हो। जयपुर के सुनील जैन के अनुसार केवल अपने मोहल्ले में भी सक्रिय हो जायें तो संभावना बढ़ती है। इसके लिए नॉन एस सी एस टी क्लब और बेरोजगार युवा संगठन बनाने का सुझाव भी दिया। जयपुर के ही दुर्गादास मीरचंदानी ने बताया कि आज़ादी को निरंतर पोषित करना पड़ता है अत: हमें 11.9.11 की उपलब्धि पर निरंतर सक्रिय रहना है। रविन्द्र पारीक के अनुसार हर महीने होने वाली बैठक फिर शुरू की जायें।

आंदोलन के पूर्व महासचिव आर एन गोड़ ने समता आंदोलन को उम्र के प्रभाव में आने की बात कही और ऐसी नयी पीढ़ी खड़ी करने की जरूरत बताई जो उपवर्गीकरण के मुद्दे को आगे बढ़ाएं।

इसी विषय पर बोलते हुए अजमेर के चम्पालाल ने कहा कि साल में ज़िला स्तर पर एक या दो रैली उपवर्गीकरण पर ही हो। अजमेर से के जी मोदानी बोले कि अब सभी हमसे अपेक्षा रखते हैं अत: सरकारी लाभकारी योजनाओं की सूची सबको उपलब्ध कराई जाये तथा पेंशनर्स के संगठनों से भी संपर्क किया जावे।

जयपुर से ही विष्णु दत्त शर्मा और उमेश तिवारी ने भी विचार प्रकट किए।

- शेष पृष्ठ चार पर

अध्यक्ष की कलम से

संविधान सभा बनाम डा. अम्बेडकर

प्रिय साथियों,

कथित गोदी मीडिया एकदम चुप है। लेकिन सोशल मीडिया, और यू ट्यूब की मानें तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के वकील अनिल मिश्रा ने ठीक वही मुद्दा उठाया है जिसे 5-6 साल पहले समता आन्दालन उठा चुका है। अनिल मिश्रा साफ शब्दों में डॉ. भीम राव अम्बेडकर की जगह डा. वी.एन.राव को संविधान निर्माता घोषित करते हैं। जबकि समता आन्दोलन ने तकनिकी रूप से डा. राजेन्द्र प्रसाद तत्कालीन राष्ट्रपति का जन्म दिवस सार्वजनिक रूम से मना कर कहा था कि सभी समितियों, संविधान सभा के मिलकर राष्ट्रपति की तरफ से राष्ट्रपति के लिये काम किया। अत: संविधान निर्माण का श्रेय उन्हें मिले। ठीक वैसे ही जैसे सर्वेसर सिकदर ने दुनिया के सबसे ऊँचे शिश्वर की तलाश की थी लेकिन शिखर का नामकरण सर्वेयर जनरल एवरेस्ट के नाम पर किया गया था।

आजादी के 75 साल बाद जब बहुत भी परम्पराएँ बदली है। यहाँ तक कि संसद भवन तक नया बन गया है तो अब आवश्यक है कि वकील अनिल मिश्रा के तथ्यों पर गंभीर मंथन के बाद घोषित किया जावे कि 298 संविधान सभा के सदस्यों द्वारा लगभग, पूरे तीन साल परिश्रम और समझ के मंथन से जो संविधान बना उसका पूरा श्रेय एक ही आदमी को दिया जाना कहाँ तक सही है।

-जय समता

सम्पादकीय

''हरियाणा आई.पी.एस. आत्महत्या: एक चेतावनी''

हरियाणा प्रदेश में आई पी एस रैंक के पुलिस अफ्सर ने आत्महत्या कर ली। दिवंगत पूरन कुमार दलित बताए जा रहे हैं। इतने ऊँचे पद पर बैठा अफ्सर आत्महत्या करता है तो कई प्रश्न खड़े होते हैं। विशेषकर जब आत्महत्या करने वाले अफ्सर की धर्मपत्नी भी आई ए एस हो ? पूरन कुमार ने अपने अंतिम आलेख में कई ऊपर के अधिकारियों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। बात इतनी बढ गई कि प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को लम्बी छुट्टी पर भेज दिया गया है। एस. पी. का ट्रांसफ्र कर दिया गया है।

लेकिन बात कई दिनों तक अटकी रही क्योंकि पूरन कुमार की दो बेटियों सहित परिवार ने प्रदेश डी.जी.पी को गिरफ्तार करने की माँग कर दी और तब तक पोस्टमार्टम करवाने से मना कर दिया गया। इसी संदर्भ में स्तब्ध का देने वाली सूचना ये है कि आई. पी. एस. आत्महत्या की जाँच कर रहे जाँच अधिकारी संदीप लाठर ने भी स्वयम को गोली मारकर आत्महत्या कर ली और पुरन कुमार पर भयंकर भ्रष्ट होने का आरोप अपने सुसाईड नोट में लगाया है। इस घटना के बाद पूरन कुमार की आई.ए.एस. पत्नी पर एफ.आई.आर. दर्ज करवाई जा चुकी है। अभी तक की खबरों के अनुसार परिवार पोस्टमॉर्टम के लिये तैयार हो गया है।

उपरोक्त सभी बातें केवल संदर्भ के लिये लिखनी पड़ी हैं। हमारा सरोकार केवल ''दलित'' शब्द को लेकर आपत्ति दर्ज करना है। हमारा ये साफ मानना है कि जिस व्यक्ति के पास पद, प्रतिष्ठा, पैसा, रुतबा, कानून की अंधी ताकत भी हो उसे दलित अर्थात दीन कहना मीडिया और सभी दूसरे लोगों की समझ पर तरस खाने वाली बात है। जबकि हाल ही सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश में कह चुका है कि एससी-एसटी में भी क्रीमीलेयर उचित है। जबकि सच इससे भी भयानक है कि आरक्षित कोटे से सलेक्ट होकर ऊँचे पद पर बैठा तो जा सकता है लेकिन पद के सरकारी दबावों को सहन कर पाना कठिन होता है। सरकार में सभी कर्मचारियों - अधिकारियों को ऊपर के अफ्सरों के आदेश (मनमाने भी) मानने ही पड़ते हैं। फिर भी एक कांस्टेबल से लेकर डी.जी.पी. तक के पास ये अधिकार होता है कि वह अपने नीचे या ऊपर के अफ्सरों के विरुद्ध शिकायत कर सके। ऐसे में किसी आई. पी.एस. की आत्महत्या शक के अंकुर पैदा करती है।

घटना को राजनैतिक रंग देने के लिये नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का दलित-दलित की माला फेरते हुए हरियाणा की यात्रा करके दो-दो आत्म हत्याओं के मामले को और उलझाने का प्रयास किया है। राहुल ये भूल जाते हैं कि काँग्रेस हमेशा एस.सी.-एस.टी. की पोषक रही है उपयोगकर्ता नहीं। इस तरह से शीघ्रता की सोच रखने वाले राहुल गाँधी से विवेक की आशा थी जो धूमिल हुई।

हमारा ये मानना है कि अब संसद और सत्ता को सुप्रीम कोर्ट के आदेश को तत्काल लागू करके एससी-एसटी पर भी क्रीमी लेयर प्रावधान शुरू करें। अन्यथा कर्मचारियों अफ्सरों के बीच बढ़ते मतभेद यदि मनभेद में बदल गये तो किसी के हाथ कुछ नही रहेगा ।

- योगेश्वर झाड़सरिया

आरक्षण कब तक ?

- पानाचन्द जैन पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट एवं संरक्षक समता आन्दोलन -

भारतीय संविधान के प्रियम्बल (उद्देशिका), जो संविधान की आत्मा है तथा संविधान को जानने की कुंजी है, में यह उद्घोषणा की गई है कि भारत के नागरिकों को गणतंत्र में जो प्रभुता सम्पन्न, सामाजिक व धर्मनिरपेक्ष है वह सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय देगा। नागरिकों के मध्य समता, समानता तथा समरसता तथा बंधुत्व की भावना होगी। संविधान में व्यवस्था की कि किसी के साथ जाति, रंग, धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं होगा। सभी को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा अपने धर्म के अनुसार आराधनाए पूजा व उसे मानने की स्वतंत्रता होगी और प्रत्येक नागरिक को गरिमा के साथ जीने का मूल अधिकार होगा। संविधान ने सामाजिक न्याय को आर्थिक व राजनैतिक न्याय से प्राथमिकता दी गई। आरक्षण सामाजिक न्याय के आधार पर है, आर्थिक आधार पर नहीं, क्योंकि दलितों के साथ समाज का तथाकथित उच्च वर्ग पशुता तथा क्रूरता का व्यवहार था, उनका जीवन नारकीय बना रखा था। 103वें संविधान संशोधन से 2019 में अतिरिक्त आरक्षण आर्थिक रूप से कमजोरों के लिए 10 प्रतिशत किया गया। आजादी से पूर्व जब दलित हरिजन गांव में सफाई करने निकलता था तो उसे गले में घंटी बांधकर बजाते हुए निकलना होता है ताकि समीप चलने वालों पर उनकी छाया से तथाकथित उच्च जाति के लोग उसकी छाया से अपवित्र न हो।

आजादी के बाद संविधान व कानूनों के प्रावधान तथा उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के आधार पर, आज पिछड़ों का एक वर्ग आरक्षण के लाभ के सहारे पिछड़ा नहीं रहा वह क्रीमीलेयर का व्यक्ति हो गया और उसे आरक्षण से बाहर होना चाहिये था क्योंकि वह विधायक, सांसद, आइएएस, आरएएस, प्रोफेसर, टीचर आदि बन गया: किन्तु अति पिछडा, अति अति पिछड़ा जो आज भी एक बड़ी संख्या में है, वे आज भी जीवन पूर्ववत् की भांति जी रहे है, जबकि आरक्षण के अधिकारी थे। पिछडेपन का लाभ कुछ जातियों तक सीमित होकर रह गया। भारत सरकार ने सन् 1965 में एक एडवायजरी कमेटी इस वस्तुस्थिति को स्पष्ट करने के हेतु लोकुर कमेटी बनाई थी, उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में यह अनुशंसा की थी कि आरक्षण धीरे 2 समाप्त किया जाना चाहिये। देबर कमेटी का भी यही विचार था

देश का कोई भी नागरिक अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों के विरूद्ध नहीं है। उनके विरूद्ध जो हमारा आचरण रहा, उसके फ्लस्वरूप यह सरकार का कर्तव्य था कि वे उनकी शिक्षाए सामाजिक सुधार व आर्थिक उन्नति के हेतु कार्यक्रम तैयार कर उन्हें समता प्राप्त कराने में सहयोग देते, किन्तु सरकार पिछड़े समुदायों का भला कर पाने में विफ्ल रही है और वह भी वोट की राजनीति के कारण। संविधान लागू होने से आज तक इनके भाग्य में कोई परिवर्तन नहीं आया। आज भी वे अशिक्षित है, अभावग्रस्त है। समाज ने अभी भी उन्हें पूर्ण रूप में नहीं अपनाया है अर्थात राजनीतिक पार्टीज ने अथवा सरकार ने उनके उत्थान के लिये जो कार्य करना था नहीं किया है, केवल मात्र आरक्षण का लाभ दिलाने की बात कह कर अपने वोट पक्के करने का प्रयास किया है। राजनीतिक पार्टीज आरक्षण के नाम पर समाज को जातियों के रूप में बांटकर, अपना वोट बैंक बनाने में लगी हुई हैं।

कि जो अधिक पिछड़ा है उसे ही आरक्षण का लाभ मिलना चाहिये। आरक्षण का लाभ लेकर कई विधायक सांसद कई बार चुनाव जीत कर भी तथा भारी पेंशन लेकर भी पिछड़े ही माने जा रहे हैं। यह विरोधाभास समझ से परे हैं।

जो जाति अथवा जनजाति पिछड़ेपन के आरक्षण से लाभ प्राप्त कर चुकी है, वह अनुसूची से बाहर होनी चाहिए। ऐसे लोगों को कीमीलेयर के नाम से जाना जाता है। इस शब्द अथवा एक्सप्रेशन का नाम जस्टिस कृष्णा अय्यर ने स्टेट ऑफकेरल बनाम एन. एम. थोमस 1976 (2) एस सी सी 310 में किया है। बाद के सभी निर्णयों में इस शब्द का प्रयोग सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णयों में किय गया है। इन्द्रा साहनी बनाम युनियन ऑफ इण्डिया 1992 एससीसी सप्लीमेंट (3) 217 में सर्वोच्च न्यायालय अपने उक्त निर्णय में यह करार दिया कि आरक्षण का लाभ प्रत्येक पिछड़ों को तथा अति पिछडे हैं, उन्हें मिलना चाहिए और सरकार से अनुशंषा की कि ओबीसी की सूची से इन्हें अलग करे। इसी प्रकार एम.नागराज बनाम यू.ऑफ इण्डिया 2006 (8) एससीसी 1, यूपी पावर कोपर्पोरेशन बनाम राजेश कुमार 2012 (7) एससीसी व अशोक कुमार ठाकुर के केस 2008 (6) एससीसी आदि के निर्णयों में यह कहा गया कि पिछड़ों में जो कीमीलेयर में उचाई तक पहुंच चुके है, उन्होंने पिछड़ों व अति पिछड़ों को अत्यन्त निर्बल कर दिया है और मलाई को वे चाट गए है लोकुर कमेटी ने जोर देकर कहा कि 67 वर्षों के बाद यह कहा जा सकता है कि सभी पिछडे अब पिछड़े नहीं रहे। इस कारण जो वस्तुत: पिछड़े रहे हैं केवल वे ही जो अनुसूची में है, आरक्षण की प्राप्ति के संवैधानिक रूप से अधिकारी है और मलाई खाने वाले व्यक्ति आरक्षण के लाभ को प्राप्त नहीं कर सकते।

उपरोक्त सिद्धान्त को हम संविधान के अनुच्छेद 46 के संदर्भ में देखतें तो पायेंगे कि राज्य सभी पिछड़ों को जो अनु.जाति व अनु. जनजाति की अनुसूचियों में हैं, उन्हीं के अधिकारों को सुरक्षित रख सकती है।

इमें इस विषयवस्तु को समझने के लिए जो संशोधन 16 (2) (ए) व 16(4)(बी) तथा अनुच्छेद 335 के संदर्भों में भी परखना होगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एम नागराज के केस में इन संशोधनों को संवैधानिक माना, परन्तु राज्य की इनेलिविंग शक्ति को आरक्षण के लाभ को अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति को प्राप्त हो उसके लिए अनुच्छेद 335 के संदर्भ में यह स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति को आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए तीन बातों को सिद्ध करना होगा किं (1) क्या वह अभी भी पिछड़ा है (2) क्या उस जाति का प्रतिनिधित्व पब्लिक एम्पलॉयमेंट में अपर्याप्त है और (3) क्या आरक्षण का लाभ पाये गए अधिकारियों के कारण सरकार के कार्य की गुणवत्ता में कमी तो नही आई है। एक उदाहरण से इसे स्पष्ट करना चाहूंगा। एक अस्पताल के सर्जरी विधान के विभाग में अधिकांश डॉक्टर आरक्षज्ञा के कारण डॉक्टर बने हैं, तो उनकी गुणवत्ता अच्छे नम्बरों से प्राप्त डॉक्टरों के बराबर हो ही नहीं सकती।

एम नागराज का केस बाद में नायर सर्विस सोसाइटी बनाम स्टेट ऑफ केरल 2007 (4) एससीसी, स्पष्ट कर दिया कि कीमीलेयर वालों को अनुसूचि से हटा दिया जाना चाहिए। - शेष पृष्ठ चार पर

पौराणिक कथन : ''विप्र चित्ति''

एक दानव का नाम जिसकी पत्नी सिंहिका के गर्भ से राहु (ग्रह) उत्पन्न हुआ था।

मन न छुए उस उद्बोधन का,
जात जुड़े हर संशोधन का,
मतलब कोई समझ ना पाता-
बिन वैचारिक सम्बोधन का ।।

कविता

''मात्रता की पात्रता''

वे, जो कर सकते थे
सब ये समान नेकता
अनेकता में एकता
मात्रता की पात्रता।
सब संतापों से बचाया
भारत माँ की गोद बिठाया
लेकिन उनको समझ न आया
छोटा उनका पात्र था
वे, जो कर सकते थे
सब ये समान नेकता
अनेकता में एकता
मात्रता की पात्रता ।।
वे छोड़े अपनी दीनता
दूर कर दें हीनता
त्यागें मन मलीनता
संज्ञान लें निज छात्र का
वे, जो कर सकते थे
सब ये समान नेकता
अनेकता में एकता
मात्रता की पात्रता ।।
वे भी स्वयम् विवेक हो
सबकी तरह ही नेक हो,
कोई कहीं न ब्रेक हो,
निज की गिनें सुपात्रता।
वे, जो कर सकते थे
सब ये समान नेकता
अनेकता में एकता
मात्रता की पात्रता ।।
वे भी सभी के साथ हो
फिर से न वे अनाथ हो
अमृत बने नहीं क्वाथ हों,
गिनती में हो अभिजातृता.
वे, जो कर सकते थे
सब ये समान नेकता
अनेकता में एकता
मात्रता की पात्रता ।।

– समता डेस्क –

आरक्षण के दंश की कुछ महत्वपूर्ण बातें

यदि प्रशासकों की नियुक्ति और पदोन्नति जाति के आधार पर न करके योग्यता के आधार पर की जाती तो अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों सहित सभी वर्गों की स्थिति उनकी वर्तमान स्थिति की अपेक्षा बेहतर, बहुत बेहतर होती।

अनुच्छेद 15(4) के अंतर्गत ऐसा कोई कदम नहीं है कि किसी छात्र को उसके पूरे शैक्षिक जीवन में एक बार से अधिक आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता।'' लेकिन सर्वोच्च न्यायालय स्वयं अपने ही नियम-निरूपण पर क्यों नहीं चलता कि किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश पानेवाले सभी व्यक्ति अंतत: एक ही वर्ग के सदस्य बन जाते हैं और उसके बाद उनके साथ अलग-अलग बरताव करना समानता के सिद्धांत के विरूद्ध है? इससे आखिर अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होता है।

माना भी जा सकता है कि आरक्षण के बल पर सेवा में नियुक्त होने वाले कर्मचारी अंतत: अपनी कमियों को दूर कर लेंगे; लेकिन इस प्रकार नौकरी पाने को मौलिक अधिकार तो नहीं बनाया जा सकता-''यह नौकरी मेरा अधिकार है। इस पर मेरा हक है।'' बल्कि इसके स्थान पर कुछ इस प्रकार की भावना भरी जानी चाहिए- कि प्रत्येक व्यक्ति को नौकरी प्राप्त करने और उसे बनाए रखने के लिए उद्यम करना चाहिए।

यदि पूरे प्रशासनिक ढाँचे का संचालन नौकरी और पदोन्नति के मामले में अधिकार-प्रदर्शन के आधार पर नहीं बल्कि कार्य, योग्यता तथा प्रदर्शन के आधार पर किया जाता तो क्या समस्त सामाजिक वर्गों की स्थिति बेहतर नहीं होती ?

क्या सर्वोच्च न्यायालय के पास इसका कोई अनुभवजन्य प्रमाण है कि 'अंक तो धर्म, संप्रदाय, रंग आदि के आधार पर दिए जाते है'? क्या प्रतियोगी परीक्षाओं में, इंजीनियरिंग कॉलेजों में अन्य पिछड़े वर्ग के सदस्यों की बढ़ती संख्या ही इसका अनुभवजन्य प्रमाण है? बड़े-से-बड़े सक्रियतावादी भी इस संबंध में कोई प्रमाण नहीं दे सका है कि' अंक तो जाति, धर्म, संप्रदाय और रंग के आधार पर दिए जाते है।'

हम स्वयं से ही क्यों नहीं पूछते कि पचास वर्षों से चली आ रही आरक्षण को व्यवस्था के बाद भी अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों की स्थिति इससे ज्यादा क्यों नहीं सुधर सकी ?

अनुच्छेद 335 में किए गए प्रावधान के अनुसार, ''सेवा अथवा विभाग की कुशलता या गुणवत्ता को बनाए, रखने के लिए आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक अथवा अन्य योग्यता स्तर में ढील नहीं दी जा सकती।''

आखिर सर्वोच्च न्यायालय स्वयं अपने ही नियम-निरूपण पर क्यों नहीं चलता कि किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने वाले सभी व्यक्ति अंतत: एक ही वर्ग के सदस्य बन जाते हैं और उसके बाद उनके साथ अलग-अलग बरताव करना समानता के सिद्धांत के विरूद्ध है? इससे अखिर अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होता है।

यह दु:खद बात है कि कानून-निर्माता कभी-कभी अनावश्यक रूप से यह समझने लगते है कि उच्च न्यायालय या उसके न्यायाधीश अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 16(4) के अंर्तगत रखी गई शर्तो की ओर से पूरी तरह उदासीन हैं। न्यायपालिका संविधान के तीन अंगों में से एक है और जिन लोगों को न्याय-प्रशासन के मामलों का कार्यभार सौंपा जाता है, उन्हें संवैधानिक शर्तों-प्रावधानों की

लेकिन एक समस्या और है, जो इससे भी बड़ी है। सार्वजनिक बहस में जातिवादियों द्वारा और न्यायपालिका में अनके सहयोगियों यानी प्रगतिवादियों द्वारा नैतिकता की लड़ाई लड़ी गई है, जिन्होंने भारत की वास्तविकता या सच्चाई की ओर देखते हुए यह निष्कर्ष निकाला है कि यहाँ जाति ही वर्ग है। परिणामस्वरूप् न्यायपलिका को जब भी ऐसा कोई निर्णय लेना पड़ता है, वह रक्षात्मक रवैया अपनाते हुए कायरता का सहारा लेती है।

प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक.....

पहले सत्र के बाद दूसरे सत्र में संभागीय अध्यक्षों के विचारों की शुरुआत विशेष आमंत्रित बी एल विजय ने करते हुए कहा कि वे अपने द्वारा बनाए गए ग्रुपों में लगभग एक लाख सदस्यों से प्रतिदिन संपर्क में रहते हैं। इससे नये सदस्य बनने में सुविधा होती है। सोशल मीडिया बहुत उपयोगी भी है।

जयपुर के संभागीय अध्यक्ष ऋषिराज ने स्थाई कार्यालय के लिए ज़मीन की जरूरत बताते हुए सहयोग की अपील की और कहा कि पाराशर जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अब प्रदेश अध्यक्ष की तैयारी की जाये।

भरतपुर से हेमराज गोयल ने महिलाओं को जोड़ने के साथ ही फील्ड में आना जाना बढ़ाने की बात करते हुए सुझाव दिया कि जयपुर में स्थाई सदस्यों का सम्मेलन किया जावे।

कोटा के डा.अनिल शर्मा समता आंदोलन की धार तेज करने का आव्हान करते हुए समाज के नेताओं को समाज के सामने नंगा करने का मुद्दा उठाया। उन्होंने ने कहा हम सब लोग समता आंदोलन को जीवें।

जोधपुर के कैलाश राजपुरोहित ने शंका प्रकट की कि जो समाज सर्वांगीण विकास नहीं करेगा वो डूब जायेगा। उन्होंने चेताया कि हज़ार भाषण और एक काम बराबर होते हैं।

अजमेर के अरुण माथुर ने जाति

आरक्षण को दशानन बताते हुए नाभि पर वार करने की ज़रूरत पर बल देते हुए सुझाया कि हर साल प्रांत स्तर पर एक आयोजन जरुर हो और प्रांतीय कार्यकारिणी की तिमाही हो और संभागीय स्तर पर हो।

दूल्हे सिंह चूंडावत उदयपुर ने गांव की गली से सुप्रीम कोर्ट तक प्रयास करने होंगे और ये भी जरूरी है कि युवा पीढ़ी को जोड़ने के लिए तहसील, ज़िला, संभागीय स्तर पर 35 से 50 वर्ष उम्र के अध्यक्ष बनें जो पंचायतों में कार्यशाला करके जागृति लावें ।

बीकानेर के संभागीय अध्यक्ष नहीं पहुंच पाए।

सबसे अंत में राष्ट्रीय अध्यक्ष पाराशर नारायण शर्मा ने अपने उद्बोधन में बताया कि सालों पहले शगुन पैलेस में हुई मीटिंग के बाद आज ये गरिमा पूर्ण मीटिंग हुई है। इस में कुछ नये और सार्थक विचार मिले हैं।

ये शुभ है कि सदस्य मंथन करके आये क्योंकि विचारों की पुनरावृत्ति नहीं हुई। मिडिल क्लास के योग्य लोग जुड़ते हैं लेकिन राजनैतिक ऐषणाओं के साथ।

पूरे देश में समता आन्दोलन सबसे ज्यादा सक्रिय है। उसकी 28 रिटें बड़ी अदालतों में पैंडिंग हैं। करने को सभी कहते हैं, कैसे करें ये बताने को कोई तैयार नहीं है। मीडिया कवरेज हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों या प्रदर्शन से मिलती है।

हमारा आंदोलन मूल चार उद्देश्यों के कारण हमेशा जीवित रहना है।

शर्मा ने जब सुझाव दिया कि सभी सदस्य दो दो युवकों को जोड़ें तो सभी ने सहमति प्रकट की। उन्होंने कहा कि हमारे लोग विरोध में एकजुट हो जाते लेकिन सपोर्ट में नहीं होते। बैकवर्ड की कोई परिभाषा नहीं है। जिसे दे दिया उससे वापस लेना मुश्किल है। हम किसी तरह के आरक्षण की मांग नहीं करते हैं। ई डब्ल्यू एस के जो 5 मानदण्ड हैं वो कुल मिलाकर बैकवर्ड को परिभाषित करते हैं। इसके बाद चार प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार किए गये।

(1) प्रत्येक कार्यकारिणी सदस्य दो दो युवकों को जोड़ेगा।

(2) अगला जिला अध्यक्ष 35 से 50 वर्ष उम्र का बनाया जाये।

(3अ) एससी-एसटी में उपवर्गीकरण की रिट लगे।

(3ब)ओबीसी में उपवर्गीकरण की रिट लगे।

(3स)ओ बी सी में ई डब्ल्यू एस के मानदंड लागू करने की रिट लगे।

(4) तीन महीने बाद स्टेट एग्ज़ीक्यूटिव की मीटिंग कोटा में की जाये।

अंत में प्रदेश महासचिव एस एस राठौर ने सबका आभार प्रकट किया और तीन महिने बाद कोटा में मिलने का आव्हान किया।

"हर व्यक्ति को अवसर और सम्मान मिले"

धौलपुर में समता आन्दोलन समिति का जिला स्तरीय सम्मेलन सम्पन्न।

धौलपुर। अग्रवाल धर्मशाला में समता आन्दोलन समिति का जिला स्तरीय सम्मेलन उत्साहपूर्वक सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष पाराशर नारायण शर्मा ने की। सम्मेलन में जिले भर से समिति के सदस्यों, समाजसेवियों एवं गणमान्य नागरिकों ने भाग लिया।

कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन एवं वंदे मातरम्मान से हुआ। स्वागत भाषण जिला संयोजक ने प्रस्तुत किया, जिसमें संगठन की गतिविधियों और धौलपुर में किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी गई। सम्मेलन को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष पाराशर नारायण शर्मा ने कहा कि समता आन्दोलन समिति का उद्देश्य सामाजिक समरसता, समान अधिकार और सामाजिक न्याय की स्थापना करना है। हर व्यक्ति को समान अवसर और सम्मान मिले यही हमारा मूल मंत्र है। उन्होंने संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने, युवाओं को जोडने तथा सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध जनजागरण अभियान चलाने का आह्वान किया। उन्होंने यह भी घोषणा की कि आने वाले समय में जिले के विभिन्न हिस्सों में जनसभाओं और जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।

सम्मेलन में विभिन्न वक्ताओं ने सामाजिक असमानता, शिक्षा, रोजगार, महिलाओं की स्थिति और सामाजिक सुधार जैसे मुद्दों पर अपने विचार रखे। कार्यक्रम के अंत में नवनियुक्त जिला कार्यकारिणी की घोषणा भी की गई। नत्थीसिंह परमार बसेड़ी, श्यामवीर सिंह परमार सैंपल, राजेश राजोरिया बाड़ी, रामवीर सिंह शर्मा मनियां, श्री प्रकाश शर्मा बसेड़ी, मनीष उपाध्याय राजाखेड़ा, मुकेश शर्मा, वीरेंद्र सिंह त्यागी, बनवारी, योगेश शर्मा युवा अध्यक्ष भरतपुर, दिनेश गर्ग, कोषाध्यक्ष प्रमोद प्रभात, ऋषिराज सिंह, राम निरंजन, योगेंद्र सिंह राठौर, हेमराज गोयल, केदारनाथ पाराशर, ओम प्रकाश शर्मा, राहुल लवानियां, देवेंद्र सिंह सहित अन्य लोग उपस्थित थे।

पृष्ठ 2 का शेष -

आरक्षण कब तक ?

संविधान के भाग 16 में कुछ वर्गों के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध है। अनुच्छेद 334 के अनुसार संविधान लागू होने के 10 वर्षों की समाप्ति पर लोकसभा में और राज्यों की विधानसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये स्थानों के आरक्षण के प्रावधान प्रभावी नहीं रहेगा अर्थात् स्वत: ही समाप्त हो जावेगा। प्राणहीन होगा। गणतंत्र में चुनाव के लिये खड़ा होना संविधान के मूल ढांचे का आधार है। कुछ वर्षों पूर्व के आंकड़ों के अनुसार 120 लोकसभा सीट्स व 1090 विधानसभा की सीट्स ऐसी है जहां देश के नागरिक को स्वेच्छा से खडे होने की स्वतंत्रता आरक्षित सीटों के कारण नहीं थी। इस प्रकार 18 करोड़ देश के व्यक्ति चुनाव लडने के अधिकार से जो उनका संवैधानिक अधिकार है वंचित कर दिये गये, किन्तु देश का दुर्भाग्य था कि देश की सभी राजनीतिक पार्टियों ने जिनका भी शासन रहा, उन्होंने अनुच्छेद 334 में संशोधन किया। जबकि जो प्रावधान दिनांक 25.01.1960 के पश्चात स्वत: ही लुप्त होने वाला था, उसे अवैध रूप से संशोधन के द्वारा पुन: 10 वर्ष के लिये और बढ़ा दिया गया। गणित का नियम है कि शून्य में से शून्य न तो घटाया जा सकता है और न बढ़ाया जा सकता है। शून्य में शून्य निकालो तो शून्य ही ही आवेगा। आवेगा।

अनुच्छेद 334 में जहां 10 वर्ष की अवधि का उल्लेख है वहां 20 वर्ष किया गया इसे 8वां संविधान संशोधन एक्ट 1959 से दिनांक 05.01.1960 से प्रभावी किया गया जो असंगत है। इसी प्रकार प्रत्येक 10 वर्ष पूरे होने से पूर्व संविधान संशोधन किये जाते रहे हैं। ये सभी संशोधन अवैध और प्रभावहीन हैं। वस्तुत: संविधान 8वां संशोधन अधिनियम स्वयं ही अवैध था। अनुच्छेद 334 की मंशा थी कि 10 वर्ष पश्चात् यह स्वत: ही निष्प्राण होगा। समय से पूर्व संशोधन कर 10 वर्ष की अवधि को बढ़ाना संविधान को दुबारा लिखना था। संविधान के निर्माताओं का दृढ संकल्प था कि सीटों का आरक्षण 10 वर्ष से अधिक का नहीं दिया जाना चाहिये, क्योंकि इस आरक्षण के कारण देश के अन्य नागरिकों को चुनाव में खड़े होने के अधिकार से वंचित किया जाता है। शिक्षा संस्थानों व सरकारी नौकरी में जो आरक्षण दिया गया है जिसमें ओबीसी शामिल है उन पर समय की सीमा का कोई बन्धन नहीं है, किन्तु उसकी भी कोई सीमा होनी चाहिये। आजादी के 75 वर्षों के बाद तक हम सभी नागरिकों को समानता का धरातल नहीं दे पाये। अधिकांश पिछड़े वहीं पर खडे हैं, जहां वे प्रारम्भ थे। शासन की असफलता का यह अकाट्य प्रमाण है।

आइये हम मिलकर अनुच्छेद 334 के इतिहास को समझने का प्रयत्न करें तो हम इसी नतीजे पर आयेंगे कि इसकी अवधि जो 10 वर्ष की निश्चित थी उसे बढ़ाने का कोई अर्थ ही नहीं था।

संविधान का अनुच्छेद 334ए संविधान के प्रारंभिक प्रारूप में अनुच्छेद 295 (ए) था इसमें यह व्यवस्था रखी थी कि स्थानों (सीट्स) के आरक्षण व विशेष प्रतिनिधित्व का आरक्षण 10 वर्ष के पश्चात् नहीं रहेगा। सदस्य श्री युधिष्ठिर मिश्रा ने यह प्रस्ताव रखा कि 'अनुसूचित जनजाति' की शब्दावली को लुप्त कर दिया जावे अर्थात् इनका आरक्षण 10 वर्ष तक सीमित न रखा जावे। श्री एस नागप्पा ने एक परन्तुक जोड़कर यह तरमीम का सुझाव दिया कि अन्य उन्नत श्रेणी के व्यक्तियों की भांति सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक दृष्टि से इनको आगे लाकर समता का धरातल दिया जावे। श्री मुनी स्वामी पिल्लई व डा. मनमोहन दास ने सुझाव दिया कि जब तक अन्य व्यवस्था पार्लियामेन्ट द्वारा न हो यह आरक्षण चालू रहे। यह भी सुझाव था कि जब तक शिक्षा, सामाजिक व्यवस्था व आर्थिक दृष्टि से ये अन्य जातियों के बराबर न आ जावें यह व्यवस्था चलती रहे।

किन्तु डा. अम्बेडकर ने यह कहकर सब सुझाव खारिज कर दिये कि ये सुझाव (तरमीम) स्वीकार नहीं किये जा सकते। उन्होंने यह भी कहा कि 10 वर्ष की अवधि अनुसूचित जाति के व्यक्तियों ने सुझाई थी। ब्रिटिश राज्य के समय में जो आरक्षण 20 वर्ष का था वह भी 1952 में समाप्त हो गया था।

देश का कोई भी नागरिक अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध नहीं है। उनके विरुद्ध जो हमारा आचरण रहा, उसके फलस्वरूप यह सरकार का कर्तव्य था कि वे उनकी शिक्षाए सामाजिक सुधार व आर्थिक उन्नति के हेतु कार्यक्रम तैयार कर उन्हें समता प्राप्त कराने में सहयोग देतेए किन्तु सरकार पिछड़े समुदायों का भला कर पाने में विफल रही है और वह भी वोट की राजनीति के कारण। संविधान लागू होने से आज तक इनके भाग्य में कोई परिवर्तन नहीं आया। आज भी वे अशिक्षित है, अभावग्रस्त है। समाज ने अभी भी उन्हें पूर्ण रूप में नहीं अपनाया है अर्थात राजनीतिक पार्टीज ने अथवा सरकार ने उनके उत्थान के लिये जो कार्य करना था नहीं किया है, केवल मात्र आरक्षण का लाभ दिलाने की बात कह कर अपने वोट पक्के करने का प्रयास किया है। राजनीतिक पार्टीज आरक्षण के नाम पर समाज को जातियों के रूप में बांटकर, अपना वोट बैंक बनाने में लगी हुई हैं।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होगा कि देश की प्रत्येक राजनीतिक पार्टी का जिनका शासन रहा, उन्होंने संविधान की अवज्ञा की है। सभी राजनीतिक पार्टियों ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों की भी अवज्ञा की है। संविधान के अनुच्छेद 334 के तहत् संविधान संशोधनों की वैधता को चुनौती देनी वाली याचिकायें 20 वर्षों से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में त्वरित न्याय की प्रतीक्षा में लम्बित है।

देश के सामने यक्ष प्रश्न है, देश के पिछड़ों को समानता का अधिकार कब प्राप्त होगा? आरक्षण कब खत्म होगा?

सबको सन्मति दे भगवान् !

न कोई जाति न कोई वर्ण सारे भारतीय सवर्ण।

प्रकाशक, मुद्रक, स्वामी-समता आंदोलन समिति, प्रकाशन स्थान- 68, भारतेन्दु नगर, खातीपुरा, जयपुर, मुद्रण स्थान- इन्दु प्रिण्टर्स, कुचीलपुरा बीकानेर, सम्पादक-योगेश्वर शर्मा। Website:www.samtaandolan.co.in